तामील में जारी हुए

28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 20 व 21 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 292/75 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 294/82 रकबा 168.05 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 20 व 21 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एकतरफा नेखमबन्दी करवाना चाहते है तथा अप्रार्थीगण की माठे वक्त सेटलमेन्ट से बनी हुई है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 292/75 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 294/82 रकबा 168.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर